

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 2072/2014/जोधपुर

मैसर्स बासनी फिलिंग सर्विस सेन्टर
ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (अपील्स),
वाणिज्यिक कर, जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, वृत्त-सी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.पी.व्यास, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23/04/2018

निर्णय

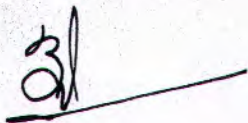
1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 10/आरवैट/जेयूबी /2014-15 के आदेश दिनांक 12.09.2014 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 22 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु पारित आदेश दिनांक 24.02.2014 में आरोपित विलम्ब शुल्क रुपये 4000/- की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म त्रैमासिक करदाता की श्रेणी का व्यवहारी है एवं वर्ष 2011-12 हेतु उसके द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये परन्तु वार्षिक विवरण पत्र 10ए प्रस्तुत कर दिया था। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 03.02.2014 को अपीलार्थी को सम्मन जारी करते हुए त्रैमासिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने तथा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विलम्ब शुल्क आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। व्यवहारी ने प्रत्युत्तर पेश किया कि वार्षिक विवरण पत्र 10ए पासवर्ड की असफलता के कारण अपलोड नहीं किया



निरन्तर.....2

जा सका है अतः उसने वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए मैनुअली प्रस्तुत किया, यद्यपि तत्पश्चात दिनांक 25.04.2013 को उक्त रिटर्न इलैक्ट्रॉनिकली भी सबमिट कर दिया। नियम 19(4) में वर्णित व्यवसायों को छोड़कर अन्य पंजीकृत व्यवसायों के लिए त्रैमासिक विवरण पत्र 10 व वार्षिक विवरण पत्र 10ए प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। व्यवहारी द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाहियों में शून्य बिक्री एवं चतुर्थ तिमाही में बिक्री घोषित की गई है। नियम 19(4) में वर्णित श्रेणियों के व्यवहारियों द्वारा ही वार्षिक विवरण पत्र वैट 11 पेश किये जाने का दायित्व है, जबकि अपीलार्थी ने स्वयं वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत किया है परन्तु त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य वर्ष की चारों तिमाहियों के त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने रुपये 1000/- प्रति विवरण पत्र के हिसाब से चारों तिमाहियों हेतु रुपये 4000/- विलम्ब शुल्क आरोपित किया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 12.09.2014 द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रथम तीन तिमाहियों में विक्रय शून्य होने के कारण आरोपित विलम्ब शुल्क रुपये 1000/- प्रति विवरण पत्र की तो पुष्टि की है, परन्तु चतुर्थ त्रैमास में बिक्री घोषित होने के कारण विलम्ब शुल्क रुपये 5000/- निर्धारण योग्य मानते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को विधिसम्मत विलम्ब शुल्क निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया है। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के सम्मुख पेश की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि व्यवहारी फर्म आधुनिक मशीनों द्वारा कम्प्यूटराईज व्हील एलाइन्मेंट, व्हील बेलेसिंग, ऑटोमेटिक टायर चेंजर का व्यवसाय करती है। अपीलार्थी द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 प्रस्तुत नहीं किये है परन्तु वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें व्यवहारी का वर्ष 2011-12 का सम्पूर्ण टर्नओवर दर्शित है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि उनके द्वारा किया गया व्यवसाय कर मुक्त है अतः उसका त्रैमासिक विवरण पत्र पेश करने का दायित्व नहीं है। उन्होंने आरोपित विलम्ब शुल्क को अनुचित बतलाते हुए आरोपित विलम्ब शुल्क को अविधिक बतलाया एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया



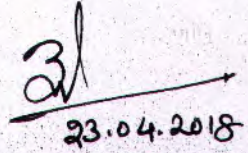
कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 प्रस्तुत नहीं किये गये है, अतः अधिनियम की धारा 21 एवं नियम 19ए में संशोधन के पश्चात विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाना विधिक है। अपीलीय अधिकारी ने प्रथम तीन त्रैमासों हेतु आरोपित विलम्ब शुल्क की पुष्टि तथा चतुर्थ त्रैमाही हेतु आरोपित विलम्ब शुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उक्त तर्कों के परिपेक्ष में उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा यद्यपि वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब शुल्क का आरोपण किया है। कर निर्धारण पत्रावली पर उपलब्ध वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में कर योग्य बिक्री की गई है, अतः उसकी समस्त खरीद बिक्री कर मुक्त माल की नहीं होने के कारण वह नियम 19(4) में यथानिर्दिष्ट वार्षिक विवरण पत्र वैट-11 प्रस्तुत करने की अर्हता नहीं रखता है।
6. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ द्वारा सुनील एण्ड ब्रदर्स बनाम सीटीओ अपील संख्या 1063/2015/टोंक निर्णय दिनांक 07.03.2018 के प्रकरण में विलम्ब शुल्क आरोपण के संबंध में विधि अभिनिर्धारित की गई है (Law has been laid down) जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार उद्धरित किये जाते हैं :-

- "1. For assessment year 2011-12 onwards the late fee is payable for late filing of returns only and in case the late fee has not been deposited by the dealers the assessing authority while finalizing the assessment are competent to calculate and levy the late fee. As the 'fee' is not in the category of penalty therefore, no notice is required to be issued prior to levy of late fee.
2. In case of non-filing of returns between the period 15.04.2011 and 31.07.2014, since no specific provision existed for levy of late fees for non-filers, the late fee is not leviable. As the section 58 was deleted on 15.04.2011 and sub section (4) of section 24 was substituted on 31.07.2014 for levy of penalty for non-filing of returns, therefore, in such cases, the only recourse available to the assessing authorities was to levy penalty u/s 64 of the Act, categorized as "penalty for other violations". "



7. उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनर्निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त संदर्भित निर्णय में सुस्थापित की गई विधि (Law as laid down) के अनुरूप विलम्ब से प्रस्तुत/अप्रस्तुत रिटर्न्स के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही कर आदेश पारित करे। इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.06.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण संबंधी आदेश को इस सीमा तक अपास्त किया जाकर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।



23.04.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य